बिहार सरकार

बिहार विधान सभा

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2007

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2007

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खण्ड।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 2 का संशोधन ।
3. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 3 का संशोधन ।
4. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 4 का संशोधन ।
5. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 7 का संशोधन ।
6. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 9 का संशोधन ।
7. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 13 का संशोधन ।
8. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 17 का संशोधन ।
9. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 24 का संशोधन ।
10. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 25 का संशोधन ।
11. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 26 का संशोधन ।
12. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 27 का संशोधन ।
13. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 28 का संशोधन ।
14. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 29 का संशोधन ।
15. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 31 का संशोधन ।
16. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 32 का संशोधन ।
17. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 33 का संशोधन ।
18. बिहार अधिनियम 37,1982 में नई धारा 33 ए का संयोजन।
19. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 35 का संशोधन ।
20. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 37 का संशोधन ।
21. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 42 का संशोधन ।
22. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 43 का संशोधन ।
23. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 44 का संशोधन ।
24. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 45 का संशोधन ।
25. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 48 का संशोधन ।
26. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 49 का संशोधन ।
27. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 50 का संशोधन ।
28. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 52 का संशोधन।
29. बिहार अधिनियम 37,1982 में नई धारा 53 ए का संयोजन।
30. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 60 का पुनः स्थापन ।
31. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 65 का संशोधन ।
32. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 66 का संशोधन।

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2007

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित]

प्रस्तावना – बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम,1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

अभिप्राय एवं कारण–बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 1993 के पश्चात् रह गयीं विसंगतियों के निवारण, ईख की आपूर्त्ति एवं खरीद के प्रभावी विनियमन हेतु एवं बिहार के ईख काश्तकारों के हित में राज्य परामर्शित ईख मूल्य के अवधारण हेतु राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए वर्त्तमान अधिनियम में संशोधन अत्यावश्यक है ।

भारत गणराज्य के अठाबनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ– (1) यह अधिनियम बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम,2007 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–2 का संशोधन। बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम,1981 (बिहार अधिनियम 37,1982) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा–2 में –

(i) खण्ड (छ) विलोपित किया जायेगा ।

(ii) खण्ड (छ–1) विलोपित किया जायेगा ।

(iii) (ञ) चीनी विनिर्मित की जाती हो के बाद निम्नांकित अन्तःस्थापित किये जायेंगेः– ''एवं ईख पर आधारित किसी भी तकनीक या प्रक्रिया पर चीनी अथवा गन्ना आधारित अन्य उत्पाद

जिसमें गन्ना आधारित इथानॉल प्लान्ट, परिष्कृत स्प्रीट प्लान्ट तथा को–जेनरेशन प्लान्ट शामिल हैं।''

(iv) (ठ) चीनी विनिर्माण के बाद निम्न अन्तःस्थापित किये जायेंगे। :– ''एवं ईख पर आधारित किसी भी तकनीक या प्रक्रिया पर चीनी अथवा गन्ना आधारित अन्य उत्पाद जिसमें गन्ना आधारित इथानॉल प्लान्ट, परिष्कृत स्प्रीट प्लान्ट तथा को–जेनरेशन प्लान्ट शामिल हैं।''

(v) खण्ड (ढ) में शब्द ''ईख–उत्पादक'' के बाद शब्द ''या सहकारी समिति'' विलोपित किये जायेंगे तथा शब्द ''आरक्षित'' के बाद ''या निर्दिष्ट'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

(vi) खण्ड (ण) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड स्थापित किया जायगा, यथाः– (ण–1) ''निर्दिष्ट क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहॉ ''ईख का उत्पादन होता हो या होने की सम्भावना हो और जो किसी कारखाना के लिए आरक्षित न हो ।''

3. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 3 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–3 में–

(I) उपधारा (2) के खण्ड (ग) (iii) में शब्द ''ईख उत्पादक'' के बाद के शब्द ''और सहकारी समितियॉ'' विलोपित किये जायेंगे।

(II) उपधारा (2) के खण्ड (ग) (v) में शब्द श्रमिक के आगे संख्या ''1'' के स्थान पर ''2'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(III) उपधारा (2) के खण्ड (ग) (vi) को विलोपित किया जायेगा ।

(IV) उपधारा (2) का खण्ड (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा–यथा :–

''घ'' निम्नांकित पदेन सदस्य होंगे :–

(i) ईख आयुक्त, बिहार

(ii) संयुक्त ईखायुक्त / सहायक ईखायुक्त, बिहार

(iii) निदेशक, गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर

(iv) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे।

(v) अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे।

(vi) अभियंता प्रमुख, लघु सिंचाई विभाग, बिहार या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे।

(vii) अभियंता प्रमुख, ऊर्जा विभाग, बिहार या उनके प्रतिनिधि जो कि अधीक्षण अभियंता से नीचे के स्तर के नहीं होंगे।

(viii) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन।

(V) उपधारा (2) के खण्ड (ङ) में शब्द ''ऊख'' के स्थान पर शब्द ''गन्ना विकास विभाग'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(VI) उपधारा (2) के खण्ड (ङ) का द्वितीय परन्तुक विलोपित किया जायेगा ।

(VII) उपधारा (4) को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा– प्रारम्भ में ऊख बोर्ड तीन वर्षो की अवधि के लिए गठित की जाएगी और उसके बाद वह उतनी ही अवधि के लिए कार्यावधि समापन की तिथि के छह महीने के अन्दर पुनर्गठित की जाएगी। जबतक नये बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है तबतक पूर्व गठित बोर्ड कार्य कर सकेगा। बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति बोर्ड के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही कार्यवसित होगी।

4. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 4 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–4 में–

(i) उपधारा (1) के खण्ड (घ) में शब्द ''मूल्य'' के बाद ''अवधारण के'' शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उपधारा (1) का (च) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा । ''(च) कारखाने के दखलकारों और प्रबन्धकों तथा ईख उत्पादकों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों के बीच समन्वय बनाए रखना, और''

5. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 7 का संशोधन– उक्त अधिनियम की धारा–7 में–

(i) उपधारा (1) के खण्ड (ख) विलोपित कर निम्नलिखित पुनः स्थापित किया जायेगा। यथा–

''(ख) सहायक निदेशक, ईख विकास, जो सदस्य होगा ।''

(ii) उपधारा (1) का खण्ड (ड) विलोपित कर निम्नलिखित पुनः स्थापित किया जायेगा यथा–

''(ड) स्थानीय ईखोत्पादकों के पॉच प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंग।''

(iii) उपधारा (1) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द ''अधिक'' के बाद शब्द ''अनुमंडलों या'' विलोपित किये जायेंगे तथा शब्द ''अध्यक्ष'' के बाद ''उस जिला का समाहर्त्ता होगा जिस जिला में कारखाना अवस्थित हो।'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

(iv) उपधारा–(2) के अन्तिम पंक्ति में ''के लिए'' के बाद निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे– ''कार्यावधि समाप्ति की तिथि के छह महीने के अन्दर''।

उपधारा–(2) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किये जायेंगे– ''जबतक नये क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन नहीं होता तबतक पुराना क्षेत्रीय विकास परिषद कार्यरत रहेगा।''

6. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–9 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा– 9 में–

(i) उपधारा (1) के खण्ड (ii) में शब्द ''और'' के बाद शब्द ''सहकारी समितियों'' विलोपित किये जायेंगे तथा शब्द ''अन्य'' अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

(ii) उपधारा (2) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य अन्तःस्थापित किये जायेंगे– ''क्षेत्रीय विकास परिषदों द्वारा ऊख बोर्ड को उनके परामर्श पर सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर राशि उपलब्ध करायी जायेगी।''

7. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा 13 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा –13 में–

(i) उपधारा (5) के खण्ड (ड) में शब्द ''या सहकारी समिति'' विलोपित किये जायेंगे।

(ii) उपधारा (7) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''या किसी सहकारी समिति के सचिव से'' तथा तीसरी पंक्ति में शब्द ''स्वामी'' के बाद शब्द ''या ऐसे सहकारी समिति'' विलोपित किये जायेंगे ।

(iii) उपधारा (9) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''या ईखोत्पादक'' तथा शब्द ''अन्य व्यक्ति'' के बाद शब्द ''या सहकारी समिति'' विलोपित किये जायेंगे ।

(iv) एक नई उपधारा (10) अन्तःस्थापित की जायेगी जो निम्न प्रकार है –

''उपधारा (10) (i) तौलसेतु एवं ईख तौल की शुद्धता के लिए कारखाना के दखलकार प्रबंधक एवं तौल लिपिक उत्तरदायी होंगे। तौलसेतु एवं ईख तौल के निरीक्षण में गलत वजन या कम वजन (घटतौली) पायी जाती है, तो सम्बद्ध ईख पदाधिकारी द्वारा अधिकतम दस हजार रू0 तक जुर्माना किया जा सकेगा।

(ii) कारखाने के दखलकार/ प्रबंधक द्वारा निर्गत मांग पर्ची यदि फर्जी नाम की या गलत नापी के आधार पर निर्गत पायी गई तो ईख पदाधिकारी द्वारा जुर्माना उपधारा (i) के अनुसार किया जायेगा।

(iii) उपधारा (i) एवं (ii) में पारित आदेश के विरूद्ध आहत पक्ष द्वारा अपील सम्बद्ध सहायक ईखायुक्त के समक्ष एक सप्ताह के भीतर तथा सहायक ईखायुक्त के आदेश से आहत व्यक्ति ईखायुक्त के समक्ष अपील एक माह के अन्दर कर सकेगा।

परन्तु यह कि आहत पक्ष जुर्माना की राशि कोषागार में जमा करने के बाद ही अपील कर सकेगा।''

8. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –17 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा– 17 में–

(i) उपधारा (2) का खण्ड (ख) विलोपित किया जायेगा ।

9. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –24 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा– 24 में–

(i) उपधारा (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द ''ईख उत्पादकों'' के बाद शब्द ''तथा सहकारी समितियों'' विलोपित किये जायेंगे ।

(ii) उपधारा (3) में अंक ''57'' के स्थान पर अंक ''55'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) उपधारा (i) की सातवीं पंक्ति में उलिखित ''सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा'' को विलोपित किया जायेगा एव शब्द ''निदेश'' के पश्चात् ''दे सकेगी'' विलोपित कर ''दे सकेगा'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –25 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा –25 में–

(i) उपधारा (2) में दूसरी पंक्ति में शब्द ''दो हजार पॉच सौ'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ii) उपधारा (4) की तीसरी पंक्ति में अंक ''57'' के स्थान पर अंक ''55'' का प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

11. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा– 26 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा– 26 में–

(i) उपधारा–1 में निम्नलिखित कंडिका अन्तःस्थापित किया जायेगा– ''ईख के वजन के निमित कारखाने द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी अपने पास एक वैध परिचय पत्र रखेगा।''

(ii) एक नई उपधारा–3 निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित किया जायेगा– ''उपर्युक्त उपधारा–1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर चीनी मिल के दखलकार या प्रबंधन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर 25,000 रू० तक दण्ड लगाया जा

सकेगा या इस अधिनियम के धारा–52 के अन्तर्गत एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।''

12. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –27 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा– 27 में उपधारा (3) की तीसरी पंक्ति में शब्द ''सकेगा'' के बाद शब्द ''जो अन्तिम होगा'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

13. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा– 28 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा– 28 में उपधारा (1) की चौथी पंक्ति में शब्द ''जाय'' के बाद शब्द ''तथा सम्बन्धित ईख पदाधिकारी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

(ii) उपधारा–(1) (च) के रूप में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा– ''क्रय केन्द्रों पर ईख की खरीद प्रारम्भ करने के पूर्व दखलकार/प्रबंधन क्रय केन्द्रों पर अपने कार्यरत कर्मचारी का नाम एवं पदनाम, ईख की दर, तौल सेतु प्रमाणीकरण रिपोर्ट आदि का समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रदर्शन करेंगे।

उपर्युक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने पर कारखाना के विरूद्ध पचीस हजार रूपये तक का दण्ड लगाया जायेगा या इस अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

14. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –29 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा– 29 को विलोपित करते हुए उसे निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''धारा 29 (1) चीनी मिल में किसी पेराई वर्ष में पेराई कार्य प्रारम्भ होने के कम से कम 45 दिन पूर्व, चीनी मिल के दखलकार द्वारा ईख की खरीद हेतु पथ/ रेल क्रय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव ईखायुक्त, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी/ सहायक/संयुक्त ईखायुक्त एवं जिला के समाहर्त्ता को दी जायेगी।

(2) ईख पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा कर ईखायुक्त, बिहार को प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना मंतव्य/ अनुशंसा दी जायेगी तथा उसकी प्रति संबंधित सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त एवं जिला समाहर्त्ता को दी जायेगी।

(3) ईख पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित तथ्यों के आलोक में अपनी अनुशंसा/ मंतव्य गठित किया जायेगा–

(i) किसी चीनी मिल के आरक्षित/आवंटित क्षेत्र की सीमा रेखा से 3 किलो मीटर रैखिक दूरी के अन्दर कोई भी क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ii) किन्हीं दो क्रय केन्द्रों के बीच की न्यूनतम रैखिक दूरी कम से कम 4 किलो मीटर होगी।

(iii) किसी भी क्रय केन्द्र के स्थापना के लिए उस क्रय केन्द्र से सम्बद्ध क्षेत्र में कम से कम 7500 टन ईख की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

(iv) मुक्त क्षेत्र में क्रय केन्द्रों की स्थापना में दूरी का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(4) ईख पदाधिकारी अपने अनुशंसा की एक प्रति सम्बद्ध सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त को उपलब्ध करवायेगा, जिनके द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उसकी समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन ईखायुक्त को समर्पित किया जायेगा।

(5) ईखायुक्त द्वारा ईख पदाधिकारी/ सहायक/ संयुक्त ईखायुक्त द्वारा भेजी गई अनुशंसा की समीक्षा एवं संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई कर क्रय केन्द्रों के आवंटन के संबंध में अन्तिम आदेश निर्गत किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन, ईख की खरीद या किसी भी क्षेत्र के उसके संचलन, जिसमें उसका रेल द्वारा प्रेषण भी सम्मिलित है, के संबंध में ईखायुक्त के किसी आदेश या निदेश का पुनरीक्षण सरकार द्वारा किया जा सकेगा, जिसे यह शक्ति होगी कि वह या

स्वतः या ऐसे आदेश या निदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके पास किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पुनरीक्षण के संबंध में कार्यवाहियों को शुरू करे।

(7) ईखायुक्त के आदेश या सरकार द्वारा संशोधित आदेश या निर्देश के बाद ही किसी क्रय केन्द्र का परिचालन प्रारम्भ हो सकेगा।

15. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–31 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा– 31 में–

(i) उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द ''पॉच'' के स्थान पर शब्द ''दस'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) उपधारा (2) के बाद नई उपधारा (3) अन्तःस्थापित की जायेगी जो निम्न हैं :– ''परन्तु जब ईखायुक्त एवं सचिव एक ही व्यक्ति हों तो व्यथित पक्ष सदस्य राजस्व पर्षद के समक्ष विहित समय सीमा के अन्दर अपील कर सकेगा।''

(iii) नई उपधारा–(3) के बाद एक नई उपधारा–(4) अन्तःस्थापित की जायेगी जो निम्न हैः– उपधारा–4(क) राज्य सरकार जनहित में क्षेत्र आरक्षण के संबंध में नीतियों का निर्धारण करते हुए समय–समय पर दिशा निर्देश निर्गत कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार क्षेत्र आरक्षण या उसकी अवधि को जनहित में परिवर्तित कर सकेगी।

16. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा– 32 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा– 32 में–

(i) उपधारा (8) में निम्नरूप में द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा । ''परन्तु ऐसा प्रतिबन्ध आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित उस ईख के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिसकी आपूर्त्ति के लिए ईखायुक्त आदेश देंगे।''

17. (i) बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–33 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा–33 विलोपित कर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी । यथा–

''33 आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद– आरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के उत्पादित और किसी कारखाने के दखलकार को आपूर्त्ति के लिए आशयित ईख उस कारखाने का दखलकार या ऐसी खरीद करने के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति नहीं खरीदेगा ।''

18. (i) नई धारा–33 ए निम्न रूप से अन्तःस्थापित की जायेगी :–

''33 ए – आरक्षित एवं आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद एवं आपूर्त्ति का विनियमन –

राज्य सरकार ईख की आपूर्त्ति को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए आदेश द्वारा निम्नांकित विषयों को विनियमित कर सकेगी :–

(i) आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख का वितरण, बिक्री अथवा खरीद।

(ii) आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख का वितरण, बिक्री अथवा खरीद।

19. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–35 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा– 35 में–

(i) उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''ईख उत्पादको'' तथा ''ईख आपूर्त्तिकर्त्ताओं'' के बीच ''उत्पादक'' आपूर्त्तिकर्त्ता शब्द ''और'' अन्तःस्थापित तथा शब्द ''या उन ईख उत्पादकों, जो सहकारी समिति के सदस्य हैं'' को विलोपित किये जायेंगे ।

20. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –37 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा– 37 की उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''या सहकारी समिति के सदस्यों'' विलोपित किये जायेंगे ।

21. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–42 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–42 में–

(i) आरम्भ एवं द्वितीय पंक्ति में शब्द ''यूनिट'' के बाद शब्द ''और कारखाना'' तथा शब्द राज्य सरकार से पहले अंक (1) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

चौथी पंक्ति में इकाई के बाद फैक्ट्री शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे अथवा पॉचवीं पंक्ति में ''अथवा सहकारी समितियॉ विलोपित किया जायेगा।''

(ii) एक नई उपधारा (2) निम्नरूप में अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा–

''(2) राज्य सरकार, सम्बद्ध पेराई साल में पेराई प्रारम्भ होने के पूर्व कारखानों के दखलकारों को आपूरित होने वाली ईख के लिए उनके द्वारा ईखोत्पादकों को संदेय ईख मूल्य का निर्धारण ईखोत्पादकों के हित, गन्ना आधारित उत्पादों से संभावित आय को ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित कर सकेगी ।

परन्तु यह संदेय ईख मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांवैधिक मूल्य से कम नहीं होगा ।

परन्तु और यह भी कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राज्य के कारखानों में से जिसका सर्वाधिक मूल्य घोषित होगा, उस सर्वाधिक घोषित मूल्य से भी कम राज्य सरकार संदेय ईख मूल्य घोषित नहीं कर सकेगी ।''

22. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–43 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–43 में–

(i) उपधारा (2), 2(iii) में निम्नांकित कंडिका अन्तःस्थापित किया जायेगा– ''कारखाना द्वारा ईख उत्पादकों को ईख मूल्य का भुगतान सिर्फ एकाउन्ट पेयी चेक/ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार को इसे सीमित समय के लिए क्षान्त करने की शक्ति होगी।

(ii) उपधारा–8 निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित किया जायेगा– उपधारा–8 ''जबतक अधिनियम की धारा–42 एवं 43 के प्रावधानों के अनुसार किसानों को उनके ईख के मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता है तबतक किसी कारयखाने के दखलकार या उसकी

ओर से कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति चीनी या गन्ना आधारित किसी भी उत्पाद को कारखाने से न हटायेगा।''

23. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –44 का संशोधन।– उक्त अधनियम की धारा– 44 में–

(i) उपधारा (2) विलोपित की जायेगी ।

(ii) उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में अंक ''(1)'' के बाद शब्द ''और (2)'' तथा चौथी पंक्ति में शब्द ''या ईख उत्पादकों के सहकारी समिति के सदस्यों'' विलोपित किये जायेंगे।

24. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –45 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा– 45 में–

उपधारा (1) को विलोपित कर नई उपधारा (1) निम्न रूप में पुनःस्थापित की जायेगी यथा–

''(1) किसी पेराई साल की समाप्ति से दो वर्ष बीत जाने पर राज्य में अथवा राज्य से बाहर स्थित कारखाने के दखलकार द्वारा वह ईख का मूल्य और उसका ब्याज यदि कोई हो, जो कि ईखोत्पादकों या आपूरकों को नहीं दिया जा सका हो, उसे सम्बन्धित क्षेत्रीय विकास परिषद के खाता में एक माह के भीतर जमा कर देगा ।

25. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–48 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–48 में–

(i) उपधारा (2) में शब्द ''राज्य सरकार क्षेत्रीय विकास परिषद् और सहकारी समिति का हिस्सा निर्धारित कर सकेगी'' को विलोपित कर शब्द ''यह धारा 9 की उपधारा (1) खण्ड (i) के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास परिषद् की निधि होगी।'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

(ii) उपधारा (3) को विलोपित कर निम्न रूप में नई उपधारा (3) प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा–

''(3) उपधारा (1) के अधीन संदेय कमीशन का भुगतान कारखाने के दखलकार द्वारा सम्बद्ध परिषद् को विहित रीति से किया जायेगा । यह भुगतान ईख खरीद की माह के अगले एक पक्ष के भीतर कर दिया जायेगा, अन्यथा इस पक्ष की पहली तारीख से ही धारा–51 में

विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देय होगा और जिसकी वसूली मूल राशि के साथ लोक मांग या भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी ।''

26. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–49 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–49 में–

(i) उपधारा (1) विलोपित कर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जायेगा, यथा– ''(i) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, कारखाना के दखलकार या उसकी ओर से कारखाना में उपयोग या प्रयोग या उसकी बिक्रय के लिए या खरीदे गए या अपने फार्म या बीज नर्सरी में से चीनी बनाने के लिए व्यवहृत ईख के वजन के आधार पर प्रति क्विंटल की दर से संदेय ईख क्रय कर अधिरोपित कर सकेगी ।''

(ii) उपधारा (3) को विलोपित कर निम्नलिखित नई उपधारा (3) प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा–

''(3) उपधारा (1) के अधीन संदेय ईख क्रय कर का भुगतान कारखाने के दखलकार द्वारा सम्बद्ध जिले के समाहर्त्ता को विहित रीति से किया जायेगा । यह भुगतान ईख खरीद माह के अगले एक पक्ष के भीतर कर दिया जायेगा, अन्यथा इस पक्ष की पहली तारीख से ही धारा–51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देय होगा, जिसकी वसूली मूल राशि के साथ लोक मांग या भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी ।''

(iii) उपधारा (4) में प्रथम पंक्ति में शब्द ''एक रूपया पचहत्तर पैसे से अनधिक'' विलोपित किये जायेंगे ।

(iv) उपधारा (4) में परन्तुक में अंतिम पंक्ति में शब्द ''पॉच'' के स्थान पर शब्द ''दस'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) उपधारा (5) में अंतिम पंक्ति में शब्द ''रूप में'' के बाद शब्द ''या भू–राजस्व के बकाये के रूप में'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

27. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा– 50 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा– 50 में–

(i) उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''या सहकारी समिति के किसी सदस्य'' विलोपित किये जायेंगे ।

28. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा–52 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–52 में– चौथी पंक्ति में शब्द ''छह महीने'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' तथा शब्द ''पॉच हजार'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस हजार'' एवं सातवीं पंक्ति में शब्द ''एक हजार'' के स्थान पर शब्द ''पॉच हजार'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

29. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा में एक नयी धारा 53 ए का संयोजन किया जायेगा–

''धारा 53 ए – ईख पदाधिकारी/ विशेष ईख पदाधिकारी इस अधिनियम की धारा 4, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 के तहत लोक मॉग के रूप में वसूलनीय राशि के लिए अध्यपेक्षा पदाधिकारी होंगे।''

30. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–60 का अन्तःस्थापन।– उक्त अधिनियम की धारा–59 के बाद एक नई धारा–60 निम्न रूप में अन्तःस्थापित की जायेगी यथा–

''धारा 60–भूतलक्षी प्रभाव से आदेश देने की शक्ति –

राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी बनाने का कोई आदेश दे सकेगी ।''

31. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा –65 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा–65 में उपधारा (1) के शब्द ''पूर्व प्रकाशन की शर्त्तो के अध्यधीन'' विलोपित किये जायेंगे।

32. बिहार अधिनियम 37,1982 की धारा–66 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा –66 में उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति शब्द ''अध्यादेश'' के स्थान पर शब्द ''अधिनियम'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

यह विधेयक बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 दिनांक 28 मार्च, 2007 को बिहार विधान सभा में उद्भूत हुआ तथा दिनांक 28 मार्च, 2007 को सभा द्वारा पारित हुआ और दिनांक 28 मार्च, 2007 को बिहार विधान परिषद द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया।

(उदय नारायण चौधरी)
अध्यक्ष।